कार्यालय – वन प्रमंडल पदाधिकारी,
हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमंडल, वन भवन, हजारीबाग

झारखण्ड सरकार

☎ 06546-222339, Fax no.06546-222339, Email- dfohazwest@jharkhandmail.gov.in

पत्रांक : 6160 दिनांक: 20/11/2018

सेवा में,

श्री राकेश कुमार, मैनेजर कंस्ट्रक्शन,
पांचवा तला, नार्थ विंग, इस्टर्न ब्लॉक,
मेकन हेड ऑफिस कम्प्लेक्स, डोरण्डा, रांची।

विषयः– गैस ऑथारिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड (GAIL) के जगदीशपुर–हल्दिया–बोकारो–धमरा पाईपलाईन प्रोजेक्ट (JHBDPL Project) कुल रकवा 113.3603 हे0 (रकवा हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमण्डल 21.7740 हे0) के लिए वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में।

प्रसंगः– आपका प्रस्ताव संख्या FP/JH/OTHERS/27162/2017 एवं पत्रांक 2018/001 दिनांक 23.10.2018

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा गैस ऑथारिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड (GAIL) के जगदीशपुर– हल्दिया–बोकारो–धमरा पाईपलाईन प्रोजेक्ट (JHBDPL Project) के लिए वन भूमि अपयोजन का प्रस्ताव वन संरक्षण अधिनियम 1980 (संशोधन नियम 2014) के तहत प्रस्ताव संख्या FP/JH/OTHERS/27162/2017 हार्डकॉपी की 8 प्रतियां दिनांक 30.10.2018 तथा ऑनलाईन दिनांक 23.10.2018 को इस कार्यालय में प्राप्त हुआ। प्राप्त प्रस्ताव के अवलोकनोंपरान्त एवं जांचोपरान्त, निम्नलिखित आवश्यक अभिलेख संलग्न नहीं है जो निम्नवत् है :–

(1) संलग्न कैडस्ट्रल मानचित्र वर्ष 1911–12 के छाया प्रति का स्केल 16"= 1 माईल का स्केल में नहीं है, जांच के क्रम में संबंधित सभी मौजा के मानचित्र का स्केल 20 चेन में 60 कड़ी से 120 कड़ी कम पाया गया है, जिससे भूमि विवरणी में वर्णित प्लॉटों के लम्बाई, चौड़ाई एवं रकवा में भिन्नता पाई गई है, जिसका सुधार अनिवार्य है। :–

(i) मौजा बछैय, थाना चौपारण थाना संख्या– 172 एवं मौजा हरीला, थाना बरही (60) के मध्य पडने वाला मौजा हजारीधमना, थाना संख्या– 171, और मौजा करसो का कैडस्ट्रल मानचित्र संलग्न नहीं है।

(ii) मौजा मेरमगढ़ा, थाना बरकट्ठा थाना संख्या– 83 एवं मौजा धरहरा थाना बरकट्ठा (97) के मध्य पडनें वाला मौजा घंघरी का कैडस्ट्रल मानचित्र संलग्न नहीं है।

(iii) मौजा धरहरा थाना बरकट्ठा थाना संख्या– 97 एवं मौजा कोनहरा खुर्द थाना बरकट्ठा थाना संख्या– 99 के मध्य पडने वाला मौजा झुरझुरी का कैडस्ट्रल मानचित्र संलग्न नहीं है।

(iv) मौजा बनवारी थाना बरकट्ठा थाना संख्या– 108 कैडस्ट्रल मानचित्र (चादर नं0–1) संलग्न नहीं है।

(v) मौजा नगरबरसोत, थाना बरही थाना संख्या– 139, कैडस्ट्रल मानचित्र (चादर नं0–1) संलग्न नहीं है।

(vi) मौजा टिटही, थाना चौपराण थाना संख्या– 173 का कैडस्ट्रल मानचित्र संलग्न नहीं है।

(vii) मौजा महुगढ़ा , थाना बरकट्ठा का थाना संख्या 199 के स्थान पर 166 होगा।

(viii) मौजा केवला थाना चौपारण, थाना संख्या– 168 के प्लॉट संख्या 1522 को KML में 1520 तथा प्लॉट संख्या 1520 को 1522 दर्शाया गया है, गलत है।

(ix) मौजा गोरहर थाना बरकट्ठा, थाना संख्या 123 के प्लॉट संख्या 4460 पर बनाये जाने वाले सबस्टेशन में अपयोजित होनेवाली वनभूमि के रकवा का विवरण भूमि विवरणी में वर्णित नहीं है, उस रकवा का समायोजन करते हुए प्रस्ताव समर्पित किया जाय।

(2) पाईपलाईन निर्माण हेतु चयनित तीन वैक्लपिक मार्ग (3 Alternate Route Alignment) को 1:500000 के स्केल पैमाना (टोपो सीट) पर नहीं दर्शाया गया है, जिसे मानचित्र पर दर्शाते हुए सारांश अंकित किया जाय।

(3) लगत लाभ विश्लेषण का प्रतिवेदन आपके द्वारा पुराने प्रपत्र में भरकर संलग्न किया गया है। अतएव भारत सरकार, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक नं0 7–.69/2011–FC(PT) Dated 01-08-2017 द्वारा निर्गत दिशा निर्देश के अनुरूप में तैयार कर संलग्न करना आवश्यक है (भारत सरकार के पत्र का छाया प्रति संलग्न) ।

(4) वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत संबंधित उपायुक्त के स्तर से निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं आपके द्वारा अपयोजित होने वाले वन भूमि की विवरणी में भिन्नता है, साथ कुल अनापति का ग्राम/आम सभा के कार्यवाही की प्रति प्रस्ताव के साथ संलग्न नहीं है।

(5) विषयांकित प्रस्ताव में अपयोजित होने वाले गैरमजरूआ जंगल–झाडी भूमि एवं गैर वन भूमि (रैयती / गैरमजरूआ आम) का सत्यापित भूमि विवरणी (अंचल अधिकारी द्वारा सत्याप्रित) एवं आपके द्वारा समर्पित भूमि विवरणी के किस्म में भिन्नता है।

(6) प्रस्ताव अन्तर्गत पड़ने वाले जंगल–झाड़ी भूमि की विवरणी एवं उपायुक्त के स्तर से निर्गत होने वाला अनापत्ति प्रमाण पत्र मे भिन्नता है, जिसका एकरूपता होना अनिवार्य है।

(7) प्राप्त प्रस्ताव के साथ अपयोजित होने वाले वन भूमि का Geo-referenced Boundary Map (in shape file) और KML file को मौजावार लगातार नहीं दर्शाया गया है जिससे वन भूमि , जंगल–झाडी और अन्य भूमि में पाईप लाईन की कुल लम्बाई और रकवा ज्ञात नहीं हो पा रहा है, जिसे पूर्ण कर वन भूमि की विवरणी में सुधार करते हुए समर्पित किया जाय।

(8) प्रस्ताव के साथ अपयोजित होने वाली वनभूमि का दोगुणा अवकृष्ट वनों में क्षतिपूरक वृक्षारोपण (CA) हेतु चयनित स्थल का DGPS Coordinate Map in shape file चयनित स्थल का नक्शा वन क्षेत्र पदाधिकारी, बरही से प्राप्त करना सुनिश्चित किया जाय।

(9) आपके द्वारा समर्पित प्रस्ताव अनुलग्नक के रूप में सिलसिलेवार तरीके से समर्पित नहीं किया गया है। तथा प्राधिकृत पदाधिकारी का मूल हस्ताक्षरीत भी सम्पूर्ण अभिलेख में नहीं है।

अतः प्रस्ताव की सभी 08 (आठ) प्रतियाँ इस पत्र के साथ संलग्न कर वापस किया जाता है। अनुरोध है कि उपरोक्त इंगित त्रुटियों का निराकरण कर प्रस्ताव इस कार्यालय में समर्पित करने की कृपा की जाय, ताकि प्रस्ताव पर अतिशीघ्र अग्रेतर कार्रवाई की जा सके।

<u>अनुलग्नकः– यथोक्त।</u>

विश्वासभाजन,

वन प्रमण्डल पदाधिकारी
हजारीबाग पश्चिमी प्रमंडल